



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072026-274482
CG-DL-E-14072026-274482

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3656]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2026/आषाढ 22, 1948

No. 3656]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2026/ASHADHA 22, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2026

का.आ. 3818(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, धारी अमरेली रोड धारी (NH351G) के कि.मी 0 किमी से 65.76 किमी गुजरात राज्य के गुजरात राज्य के गुजरात राज्य के तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH351G पर भूमि का अधिग्रहण

मिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, धारी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH351G के कि.मी 0 से कि.मी 65.76 तक	गुजरात	अमरेली	धरी	1 चलाला
2	सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, लाठी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH351G के कि.मी 105.56 से कि.मी 135.145 तक	गुजरात	अमरेली	बाबरा	1 बाबरा 2 अमरापार
3	विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, राजकोट	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH351G के कि.मी 135.14 से कि.मी 159.88 तक	गुजरात	राजकोट	जसदण	1 जसदान

[फा. सं. GJ/LA/351K/24/2024-25]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2026

S.O. 3818(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively

of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 0 to 65.76 of Dhari Amreli road Dhari (NH351G) in the State of GUJARAT, 105.56 to 135.145 of Prant offcier Kachari near bus stand Lathi (NH351G) in the State of GUJARAT, 135.14 to 159.88 of Taluka seva sadan near jilleswar park kamplapur road (NH351G) in the State of GUJARAT.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH351G in the State of GUJARAT.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	Sub Divisional Magistrate , Dhari	NH351G KM 0 TO KM 65.76	GUJARAT	AMRELI	Dhari	1 Chalala
2	Sub Divisional Magistrate ,Lathi	NH351G KM 105.56 TO KM 135.145	GUJARAT	AMRELI	Babra	1 Babra 2 Amarapar
3	SLAO , Rajkot	NH351G KM 135.14 TO KM 159.88	GUJARAT	RAJKOT	Jasdan	1 Jasdan

[F. No. GJ/LA/351K/24/2024-25]

SHAIKH AMINKHAN, Director